"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्रपद 2, शक 1938

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

आदेश

क्रमांक/खाऔ/प्रशा. /2012/एफ 25-7/2012/नौ/55. — खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 के अनुसरण में, किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया जाएगा. जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. गुटखा एवं पान मसाला जिसमें तम्बाकू या निकोटीन घटक विद्यमान हो, जो बाजार में किसी भी नाम से उपलब्ध हो, के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं वितरण को आदेश क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 25-07-2012 के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिषेध किया गया था, जिसमें अधिसूचना क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 22-07-2013 द्वारा वृद्धि की गई तथा आदेश क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 20-08-2014 द्वारा वृद्धि की गई तथा जिसमें आदेश क्रमांक/खाऔ/प्रशा./छ./2012/एफ 25-7/2012/नौ/55 दिनांक 10-08-2015 द्वारा दिनांक 24-07-2016 तक क्रमवार पुनः वृद्धि की गई थी. प्रतिषेध अवधि दिनांक 24-07-2016 को समाप्त होगी.

अतएव, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 34) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 के अनुक्रम में आयुक्त खाद्य संरक्षा छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा गुटखा एवं पान मसाला तथा कोई खाद्य उत्पाद जिसमें तम्बाकू या निकोटीन घटक के रूप में विद्यमान हों ऐसे खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में जाने जाते हों, के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, लोक स्वास्थ्य हित को देखते हुए दिनांक 25-07-2016 से आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिषेध करता है.

हस्ता./-
(पी. व्ही. नरसिंग राव)
आयुक्त,
खाद्य संरक्षा, छत्तीसगढ़.

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक/खाऔ/प्रशा. /2012/एफ 25-7/2012/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(पी. व्ही. नरसिंग राव)
आयुक्त,
खाद्य संरक्षा, छत्तीसगढ़.

Naya Raipur, the 13th June 2016

ORDER

No./ FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/IX/55. — In Pursuance of regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011, provides that tobacco and nicotine shall not be used as ingredients in any food products, as they are injurious to health. The Manufacture, Storage, Sale or Distribution of gutkha and panmasala containing tobacco or nicotine as ingredients, by whatsoever name it is available in the market, has been prohibited for one year vide order No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/Nine/55 dated 25-7-2012 and extended by Notification No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/Nine/55 dated 22-07-2013 and extended upto 24-07-2015 vide order No./ FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/IX/55 dated 20-08-2014 and which was further extended upto 24-07-2016 vide order No./ FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/IX/55 dated 10-08-2015 respectively. The prohibition duration will be end on 24-07-2016.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of Section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) and in furtherance of regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011. The Commissioner Food Safety of Chhattisgarh in the interest of Public Health hereby prohibits the Manufacture, Storage, Sale or Distribution of gutkha and panmasala and any food products containing tobacco or nicotine as ingredients, by whatsoever name it is available in the market in the whole of the State of Chhattisgarh for a further period of one year with effect from 25-07-2016.

Sd/-
(P. V. Narsinga Rao)
Commissioner,
Food Safety, Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.